[Shrimati Indira Gandhi]

co-operation in the important tasks before us.

14.40 hrs.

ENLARGEMENT OF THE APPELLATE (CRIMINAL) JURISDICTION OF THE SUPREME-COURT BILL

Extension of Time for Presentation of Report of Select Committee

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh); Sir, I beg to move:

> "That this House do extend the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill to enlarge the appellate jurisdiction of the Supreme Court in regard to criminal matters upto the first day of next session."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That this House do extend the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill to enlarge the appellate jurisdiction of the Supreme Court in regard to criminal matters upto the first day of the next session,"

The motion was adopted

14.41 hrs.

OIL-FIELDS (REGULATION AND DEVELOPMENT) AMENDMENT BILL.*

THE MINISTER OF PETROLEUM & CHEMICALS AND MINES & METALS (DR. TRIGUNA SEN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Oil-fields (Regulation and Development) Act, 1948,

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Shiv Chandra Jha has written to me that he wants to oppose the introduction of this Bill.

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस आयलफ़ील्ड्ज (रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट) एमेंडमेंट बिल, 1969 के इन्ट्रोडक्शन का विरोध करता हूँ। आप चाहेंगे कि मैं संविधान के प्राविज़न्ज के मुताबिक इसका विरोध करूं। मैं आपका ध्यान संविधान की यूनियन लिस्ट की एन्ट्री 53 और 54 की ओर दिलाना चाहता हूँ। एन्ट्री 53 में कहा गया है :

> "Regulation and development of oil fields and mineral oil resources; petroleum and petroleum products; other liquids and substances declared by Parliament by law to be dangerously inflamable."

एन्ट्री 54 में कहा गया है :

> "Regulation of mines and mineral development to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest."

इन दोनों एन्ट्रीज़ के मुताबिक सब आयल फ़ील्डज़ और माइन्ज़ पर केन्द्रीय सरकार का कब्ज़ा है और उनके नियमन और विकास की ज़िम्मेदारी भी उसी के ऊपर है। लेकिन जैसाकि आप जानते हैं, ये आयल फ़ील्ड्ज़ और माइन्ज़ अब भी प्राइवेट सेक्टर के मातहत हैं। यह स्थिति हमारे संविधान के प्रीएम्बल में दिये गये समाज कल्याण के लक्ष्य के खिलाफ़ है, जिसको आज प्रधान मंत्री ने दोहराया है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक हमारे संविधान के एक मुख्य आदर्श के मुताबिक नहीं हैं, बल्कि यह उसकी लिप सर्विस के रूप में है और वास्तव में यह टिंकरिंग विद दी प्राबलम है।

मैं चाहता हूँ कि सरकार इस विधेयक को वापस ले ले और आयल फ़ील्ड्ज और माइन्ज को नैशनलाइज़ करने के लिए एक विधेयक लाये। ऐसा करने पर ही माइन्ज, मिनरल्ज और उसके साथ-साथ तेल का सही रूप में रेगुलेशन और विकास होगा, देश की अर्थ-व्यवस्था में उनका योगदान होगा और समाज-कल्याण के उद्देश्य

* Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 21-7-69.